6.1.1.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16] रायपुर, बुधवार, दिनांक 16 जनवरी 2019 — पौष 26, शक 1940

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 16 जनवरी 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-12/2013/38-1. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग (महाविद्यालयीन शाखा, राजपत्रित) सेवा के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.**- (1) ये नियम छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा, राजपत्रित) भर्ती नियम, 2019 कहलायेंगे।
(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

Govt. Gramya Bharti College Hardibazar

2. **परिभाषाएं.**- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) सेवा के संबंध में **"नियुक्ति प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;
(ख) **"आयोग"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग;
(ग) **"समिति"** से अभिप्रेत है चयन समिति या विभागीय पदोन्नति समिति, जैसा कि अनुसूची-चार में विनिर्दिष्ट है;
(घ) **"परीक्षा"** से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 11 के अधीन आयोजित प्रतियोगी परीक्षा;
(ङ) **"शासन"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;
(च) **"राज्यपाल"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;
(छ) **"अन्य पिछड़े वर्ग"** से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar, Distt.- Korba (C.G.)

SAMPLE

(ज) **"अनुसूची"** से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(झ) **"अनुसूचित जाति"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(ञ) **"अनुसूचित जनजाति"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ट) **"सेवा"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा, राजपत्रित);

(ठ) **"राज्य"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।

(ड) दिव्यांगजन से अभिप्रेत है,–

(1) ऐसा व्यक्ति, जो दृष्टिहीन हैं, यदि वह निम्नलिखित दशाओं में से किसी एक से ग्रस्त हो :–

(एक) दृष्टि का पूर्णतः अभाव हो;

(दो) बेहतर आंख में परिषांधी लेंस से दृष्टिगत तीक्ष्णता 6/60 या 20/200 (सैलन) से अधिक न हो, या

(तीन) सामने की दूर दृष्टि का क्षेत्र 20 अंश के कोण तक सीमित हो या उससे कम हो।

(2) ऐसा व्यक्ति जो बहरा हो, यदि उसमें दैनिक प्रयोजन के लिये अपेक्षित श्रवण संवेदना का अभाव हो, यहां तक कि वह विस्तारित आवाज को भी बिल्कुल सुन या समझ नहीं सकते । ऐसे व्यक्ति इस प्रवर्ग में शामिल होंगे, जिनमें सुनने का ह्यास बेहतर कान में 80 डेसिबल से अधिक (अधिकतम कमी) हो या दोनो कानों में सुनने का पूरा ह्यास हो।

(3) उन व्यक्तियों को शारीरिक अशक्तता से ग्रसित समझा जायेगा, जिनमें ऐसा कोई शारीरिक दोष या विकृति हो, जिससे शरीर में हड्डियों, मांस पेशियों या जोड़ो की सामान्य क्रियाशीलता में बाधा पहुंचती हो।

(ढ) "नेट" से अभिप्रेत है यूजीसी/सीएसआईआर द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा;

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar,Distt.- Korba (C.G.)
Govt. Gramya Bharati College Hardibazar
SAMPLE

(ण) "सेट/स्लेट" से अभिप्रेत है राज्य पात्रता परीक्षा, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा संचालित अथवा 02.06.2002 को या उसके पूर्व किसी अन्य राज्य द्वारा संचालित सेट/स्लेट परीक्षा।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.**– सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्:–

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनूसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से या स्थानापन्न हैसियत से धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गये हों।

5. **वर्गीकरण तथा वेतनमान इत्यादि.**– सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या और उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची–एक में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार होंगे:

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में, समय–समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा।

6. **भर्ती का तरीका.**– (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात्:–

(क) चयन (प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार) के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवा में ऐसे पदों को मूल हैसियत में धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये; और

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar, Distt.-Korba (C.G.)
Govt. Gramya Bharti College Hardibazar *
SAMPLE

(घ) शासन द्वारा किसी महाविद्यालय को लिए जाने के पश्चात्, नियम 17 में विहित प्रक्रिया के अनुसार आमेलन द्वारा ।

(2) उप–नियम (1) के खण्ड (क), (ख) या (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची–दो में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर शासन द्वारा आयोग के परामर्श से अवधारित की जाएगी।

(4) उप–नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो शासन, आयोग से परामर्श पश्चात्, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किए गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा उक्त अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति.**– इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां, शासन द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.**– सीधी भर्ती/चयन हेतु पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:–

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar,Distt.- Korba (C.G.)

Govt. Gramya Bharati College Hardibazar

SAMPLE

(एक) आयु— (क) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची—तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों (गैर—क्रीमी—लेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए भी, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी:—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar,Distt.- Korba (C.G.)

Govt. Gramya Bharati College Hardibazar

SAMPLE

इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण— शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ङ.) ऐसा अभ्यर्थी, जो "भूतपूर्व सैनिक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण— शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो, अर्थात्:—

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें—

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर,

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar, Distt.- Korba (C.G.)

Govt. Gramya Bharati College Hardibazar

(ख) नामांकन की शर्ते पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;

(तीन) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं);

(चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक/अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(झ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये, उच्चतर आयु सीमा में, 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar,Distt.- Korba (C.G.)

Govt. Gramya Bharati College Hardibazar *

SAMPLE

छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ञ) सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल/क्रीड़ाधिकारी के पद में भर्ती के लिये शासकीय सेवा में प्रवेश करने हेतु उपरोक्त किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के आधार पर छूट प्रदान करने के उपरांत अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ट) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

टीप–(1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें नियम 8 के खण्ड (एक) के उप–खण्ड (घ) के पैरा (एक) एवं (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्, या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(दो) **शैक्षणिक अर्हताएं** – अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये यथा विहित शैक्षणिक अर्हताएं होना चाहिए, जैसा कि अनुसूची–तीन में दर्शित है:

परन्तु –

(1) आपवादिक मामलों में, आयोग, शासन की सिफारिश पर, किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगा, जो यद्यपि इस खंड में विहित की गई अर्हताओं में से कोई अर्हता न रखता हो, किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो, जिसके कारण आयोग अभ्यर्थी का परीक्षा/चयन में सम्मिलित किया जाना न्यायोचित ठहराता हो; और,

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar,Distt.- Korba (C.G.)

Govt. Gramya Bharti College Hardibazar

SAMPLE

(2) ऐसे अभ्यर्थियों को, जो अन्यथा अर्ह हो, किन्तु जिन्होंने विदेशी विश्वविद्यालयों से, जो ऐसे विश्वविद्यालय है, जिन्हें सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता प्रदान नहीं की गई हैं, आयोग के विवेकानुसार परीक्षा/चयन हेतु शामिल किये जाने के लिये विचार किया जा सकेगा।

(तीन) फीसः– (क) अभ्यर्थी को आयोग द्वारा यथा विहित फीस का भुगतान करना होगा।

(ख) उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें चिकित्सा मंडल के समक्ष उपस्थित होने के लिए अपेक्षित किया गया हो, चिकित्सीय परीक्षा के पूर्व चिकित्सा मंडल के अध्यक्ष को ऐसी फीस का भुगतान करना होगा, जैसा कि शासन द्वारा विहित की जाए।

9. निरर्हता.– (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर, समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, आयोग द्वारा परीक्षा/चयन हेतु शामिल होने के लिये निरर्हित माना जायेगा।

(2) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जायेः

परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि

Govt. Gramya Bharati College Hardibazar
Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar,Distt.- Korba (C.G.)
SAMPLE

यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, के पश्चात, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे नैतिक अधोपतन से संबंधित किसी अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा, जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाए।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के बारे में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा.–** (1) चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे परीक्षा/साक्षात्कार हेतु आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि आयोग के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, आयोग द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

11. **चयन (प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार) के माध्यम से सीधी भर्ती.–** (1) सेवा में भर्ती के लिये चयन ऐसे अंतरालों पर आयोजित की जायेगी, जैसा कि शासन, आयोग के परामर्श से, समय–समय पर अवधारित करे।

Govt. Gramya Bharati College Hardibazar
Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar,Distt.- Korba (C.G.)
SAMPLE

(2) प्रतियोगी परीक्षा, ऐसे पाठ्यक्रम, परीक्षा योजना तथा निर्देशों के अनुसार आयोग द्वारा आयोजित की जायेगी, जैसा कि शासन द्वारा आयोग के परामर्श से समय–समय पर जारी किया जाये। आयोग, यदि उचित समझे, शासन के परामर्श से इस सेवा या किसी अन्य सेवा में भर्ती के लिये संयुक्त परीक्षा आयोजित करेगा।

(3) सेवा में अभ्यर्थियों का चयन ऐसी रीति से की जायेगी, जैसा कि आयोग द्वारा अवधारित किया जाये।

(4) सेवा में भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंध तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस अधिनियम के अधीन समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

(5) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिये 30 प्रतिशत पदों को आरक्षित रखा जायेगा। यह आरक्षण समस्तर और प्रभागवार होगा। उक्त उपबंध के अध्यधीन रहते हुये नियुक्तियों में विधवा अथवा तलाकशुदा महिला को अधिमान दिया जायेगा ।

(6) उपरोक्त के अतिरिक्त दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिकों के लिये पदों को, शासन द्वारा समय–समय पर बनाये गये अधिनियम/नियम/जारी किये गये आदेश/निर्देश के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा।

(7) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थियों, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(8) उपरोक्त के अतिरिक्त, अभ्यर्थी, जो महिला/दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिक हैं और जिनका आरक्षण के फलस्वरूप चयन किया गया है, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar,Distt.- Korba (C.G.)

Govt. Gramya Bharati College Hardibazar

SAMPLE

(9) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा नियुक्ति के लिये पात्र घोषित किया गया हो, को उप–नियम (7) के अनुसार, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(10) ऐसे मामलों में, जहाँ सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और शासन की राय में यह पाया जाता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो शासन, आयोग से परामर्श पश्चात्, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

12. **आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची.–** (1) आयोग, उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों जैसा कि आयोग द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हों एवं प्रत्येक प्रवर्ग के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों की, जो महिला/दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिक के प्रवर्ग में आरक्षण के फलस्वरूप चयनित किये जायें, उनके मेरिट क्रम से सूची तैयार करेगा तथा शासन को अग्रेषित करेगा, जिसकी नियुक्ति हेतु वैधता, शासन को सूची के भेजे जाने की तिथि से एक वर्ष की होगी।

(2) उप–नियम (1) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिये आयोग की वेबसाइट पर अधिसूचित की जायेगी।

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar,Distt.- Korba (C.G.)
Govt. Gramya Bharati College Hardibazar
SAMPLE

(3) आयोग द्वारा रिक्त पदों को भरने के लिये प्रत्येक प्रवर्ग हेतु एक चयन सूची तैयार की जायेगी, ऐसे प्रवर्गों के लिये एक प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जायेगी, जिसमें न्यूनतम एक नाम तथा रिक्त पदों के अधिकतम 25 प्रतिशत तक नाम सम्मिलित होंगे। सूची की वैधता, ऐसी चयन सूची के जारी होने की तिथि से डेढ़ वर्ष की होगी।

स्पष्टीकरण– प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्त पदों की 25 प्रतिशत तक आंकलन करने के लिए, इसे पूर्णांक में लाने हेतु, अंक को अगले पूर्णांक तक बढ़ा दिया जायेगा।

(4) आयोग, उप–नियम (1) एवं (3) के अधीन तैयार की गई चयन सूची, शासन को नियुक्ति के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित करेगा। तथापि, प्रतिक्षा सूची से नियुक्ति, आयोग की सहमति के बिना नहीं की जा सकेगी।

(5) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(6) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिये कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि शासन का ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(7) कोई अभ्यर्थी, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित है, वैधता अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने या त्यागपत्र देने या किन्ही कारणों से वह अयोग्य पाये जाने पर या वैधता अवधि के दौरान चयनित अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर, आयोग द्वारा प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु अनुशंसित किये जा सकेंगे।

(8) यदि प्रतिक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम भेजे जाने के लिये शासन से अनुरोध प्राप्त होता है तो आयोग, उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार, प्रतीक्षा सूची से नाम, अनुशंसित करेगा तथा इसे शासन को भेजेगा।

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar,Distt.- Korba (C.G.)

Govt. Gramya Bharati College Hardibazar

SAMPLE

(9) शासन से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् आयोग, शासन को विधिमान्य कारणों का कथन करते हुए अधिकतम 6 माह के लिये चयन सूची की वैधता अवधि में वृद्धि कर सकेगा।

(10) चयन सूची की वैधता अवधि में 6 माह की वृद्धि किए जाने पर, प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि में 6 माह की स्वतः वृद्धि होना माना जायेगा।

(11) उप–नियम (9) एवं (10) के अधीन तैयार की गई चयन सूची की वैधता में, आयोग द्वारा तब तक कोई वृद्धि नहीं की जायेगी, जब तक कि शासन, युक्तियुक्त कारण का कथन करते हुए वृद्धि करने हेतु कोई अनुशंसा नहीं करता।

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.–** (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए, एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची–चार में उल्लिखित सदस्य सम्मिलित होंगे:

परन्तु इस उप–नियम के अधीन, समिति के गठन के लिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंधों का भी अनुसरण किया जाएगा।

(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक न हो।

(3) प्रत्येक पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा मॉडल रोस्टर के अनुसार होगी।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, उप–नियम (3) तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन– नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नति आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन्

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar,Distt.- Korba (C.G.)
Govt. Gramya Bharati College Hardibazar
SAMPLE

1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में जारी निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों का पालन किया है तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया है।

14. **पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें.**– (1) उप-नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में, जिनसे पदोन्नति की जानी है जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट है अथवा शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में), उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उप-नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरण– पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति– संबंधित वर्ष, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक, फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) (एक) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति वरिष्ठता सह उपयुक्तता (सीनियारिटी कम फिटनेस) के आधार पर या अनुपयुक्त व्यक्ति को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो, वहां सभी वर्गो के लिए विचारण हेतु कोई आधार नही होगा। केवल लोक सेवकों की ऐसी संख्या के प्रस्तावों पर वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जायेगा, जो की प्रत्येक प्रवर्ग में विद्यमान तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्त पदों की संख्या को भरने के लिए प्रर्याप्त होगी।

(दो) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति योग्यता सह वरिष्ठता (मेरिट कम सीनियारिटी) आधार पर की जानी हो वहा विचारण क्षेत्र, कुल रिक्त

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar, Distt.- Korba (C.G.)
Govt. Gramya Bharati College Hardibazar
SAMPLE

पदों के दो गुने से चार अधिक होगा। यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शासकीय सेवक पदोन्नति के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, तो विचारण क्षेत्र में कुल रिक्त पदों के 7 गुने तक वृद्धि की जा सकेगी तथा आरक्षित पदों की पूर्ति, उपरोक्त उल्लिखित विचारण क्षेत्र में आये आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों से की जा सकेगी। समिति, उक्त विचारण क्षेत्र से प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन विद्यमान तथा 1 वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त तथा पदोन्नति के कारण प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए विचार करेगी।

(3) उप–नियम (2) के अधीन प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त उपरोक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के नाम चयन सूची में सम्मिलित करने के प्रयोजन से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नाम पर विचार किया जायेगा।

(4) शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

(5) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेश पदोन्नति हेतु लागू होंगे।

15. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.–** (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 13 एवं 14 में विहित शर्तो को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, चयन सूची के तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। इसके अतिरिक्त उक्त अवधि के दौरान होने वाले अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये एक आरक्षित सूची तैयार की जायेगी, जिसमें प्रत्येक प्रवर्ग से 1 एवं न्यूनतम 25 प्रतिशत तक नाम सम्मिलित होंगे।

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar, Distt.- Korba (C.G.)

Govt. Gramya Bharati College Hardibazar

SAMPLE

(2) उपयुक्त अधिकारियों की सूची, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जायेगी।

(3) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जायेगा।

(4) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण में, सेवा के किसी सदस्य का अवक्रमण किया जाना प्रस्तावित है, तो यथास्थिति, समिति, प्रस्तावित अवक्रमण के संबंध में अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा।

16. **आयोग से परामर्श.–** (1) नियम 15 के अनुसार तैयार की गई सूची, शासन द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आयोग को भेजी जायेगीः–

(एक) सूची में सम्मिलित समस्त व्यक्तियों के अभिलेख।

(दो) अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लिखित समस्त ऐसे सदस्यों के अभिलेख, जिसका सूची में यथा अनुशंसित अवकमण किया जाना प्रस्तावित है।

(तीन) अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथा उल्लिखित सेवा के किसी सदस्य के प्रस्तावित अवकमण के लिए समिति के लेखबद्ध कारण।

(चार) समिति की अनुशंसाओं पर शासन की टिप्पणियां।

(2) यदि पदोन्नति समिति में आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य, जो अध्यक्ष/आयोग द्वारा नामांकित किया गया हो, उपस्थित रहे हों तथा यदि बैठक की कार्यवाही विवरण पर, अध्यक्ष सहित समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हों तो उप–नियम (1) के अधीन उपर्युक्त कार्यवाही अपेक्षित नहीं होगी तथा यह माना जायेगा कि संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उप–खण्ड (ख) के अधीन आयोग से परामर्श करने संबंधी अपेक्षा का अनुपालन किया गया है तथा आयोग के साथ पृथक परामर्श करने की आवश्यकता नहीं होगीं।

17. **आमेलन द्वारा भर्ती.–** (1) शासन द्वारा, कार्यभार ग्रहण किये गए अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य, प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल और क्रीड़ाधिकारी का आमेलन, छानबीन समिति द्वारा प्रत्येक प्रकरण का परीक्षण

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar, Distt.- Korba (C.G.)

Gramya Bharati College Hardibazar

SAMPLE

करने के उपरांत, की गई उनकी अनुशंसा पर किया जाएगा। समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :-

(एक) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग का कोई सदस्य;

(दो) प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन;

(तीन) आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन;

(चार) सरकारी स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के दो प्राचार्य, जिन्हें शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाएंगे;

(पांच) यदि उपरोक्त (एक) से (चार) तक में अजा/अजजा वर्ग का कोई सदस्य न हो, तो इस प्रवर्ग से न्यूनतम एक सदस्य, शासन द्वारा नामांकित किया जायेगा।

(2) छानबीन समिति, समुचित पदों पर आमेलन के लिए उसे निर्दिष्ट मामलों के बारे में निम्नलिखित आधारों पर सिफारिश करेगी :-

(एक) वे समस्त व्यक्ति, जिन्हें छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा अनुदान आयोग के प्रारंभ के पूर्व, शासन द्वारा कार्य-भार ग्रहण किए गए निजी महाविद्यालयों में संबंधित विश्वविद्यालय की महाविद्यालयीन संहिता में दिए गए उपबंधो के अनुसार नियमित नियुक्ति के रूप में भर्ती किया गया था;

(दो) छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम, 1967 एवं छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालय शाखा) भर्ती नियम, 1990 के प्रारंभ होने के पश्चात्, भर्ती किया गया ऐसा कोई व्यक्ति, जो उक्त नियमों में विहित न्यूनतम अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करता है, आमेलित नहीं किया जाएगा;

(तीन) किसी व्यक्ति को आमेलित नहीं किया जाएगा, यदि उसे पूर्व में किसी भी समय शासकीय या किसी अन्य सेवा में सावित हुए अवचार और/या दाण्डिक अपराध के कारण हटाया गया हो या पदच्युत किया गया हो;

(चार) किसी व्यक्ति को शासकीय सेवा में आमेलित नहीं किया जाएगा, यदि उसने आमेलन के समय प्रवृत्त शासकीय नियमों के अनुसार अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर ली हो;

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar, Distt.- Korba (C.G.)

Govt. Gramya Bharati College Hardibazar

SAMPLE

(पांच) किसी व्यक्ति को, जो राज्य सरकार द्वारा, कार्यभार ग्रहण किए गए किसी अशासकीय महाविद्यालय में रजिस्ट्रार या ग्रंथपाल या क्रीड़ाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया हो या उस रूप में पद धारण कर रहा हो, तब तक शासकीय सेवा में आमेलित नहीं किया जाएगा, जब तक कि नियुक्ति के समय ऐसा व्यक्ति न्यूनतम् अपेक्षाओं की पूर्ति न करता हो या ऐसी अर्हताएं धारण न करता हो, जो राज्य शासन द्वारा लिखित आदेश द्वारा अधिकथित की जाए.

(छः) किसी व्यक्ति को शासकीय सेवा में आमेलित नहीं किया जाएगा, जिसकी नियुक्ति को, यथास्थिति, छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा अनुदान आयोग या विश्वविद्यालय द्वारा नियमित नियुक्ति के रूप में अनुमोदित नहीं की गई है।

(3) (एक) किसी व्यक्ति को शासकीय सेवा में उस पद से उच्च पद पर आमेलित नहीं किया जाएगा, जिस पर कि वह शासन द्वारा महाविद्यालय के कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व कर कार्य रहा था;

(दो) स्नातक महाविद्यालय के प्राचार्य के रुप में आमेलन किये जाने के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो शासन द्वारा कार्यभार ग्रहण किये गए किसी महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में कार्य कर रहा हैं, इस नियम में विहित अन्य शर्तो के अतिरिक्त, यह आवश्यक है कि उसे न्यूनतम 14 वर्ष का अध्यापन का अनुभव हो जिसमें से तीन वर्ष का अध्यापन का अनुभव स्नातकोत्तर कक्षाओं के अध्यापन का हो और दो वर्ष का अध्यापन का अनुभव प्राध्यापक के रूप में हों, स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर आमेलन के लिए, उपरोक्त के अतिरिक्त, दो वर्ष का स्नातक महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक होगा।

(4) इस नियम के सुसंगत उपबंधों पर विचार करने के पश्चात्, छानबीन समिति, शासन को उपयुक्त सिफारिश करेगी। समिति की सिफारिश किए जाने के पश्चात्, शासन द्वारा संबंधित व्यक्ति के आमेलन आदेश, समिति की सिफारिश के अनुसार जारी की जाएगी।

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar,Distt.- Korba (C.G.)

Govt. Gramya Bharati College Hardibazar

SAMPLE

(5) किसी विशिष्ट पद पर आमेलित व्यक्ति की वरिष्ठता, उस महाविद्यालय के अधिग्रहण तिथि से होगी।

(6) किसी अशासकीय महाविद्यालय में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा शासकीय सेवा में उसके आमेलन पर कोई अवकाश अग्रणित किया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । तथापि, अशासकीय महाविद्यालय में की गई सेवा के संबंध में यदि ऐसा व्यक्ति अवकाश वेतन अभिदाय का भुगतान करता है तो उसे इस प्रकार अर्जित अवकाश को अग्रणित करने हेतु छत्तीसगढ़ अवकाश नियम में विहित निर्बंधनों तथा अधिकतम् सीमाओं के अधीन रहते हुए अनुज्ञात किया जाएगा।

(7) इस नियम के उपबंधो के अनुसार शासकीय सेवा में आमेलित कोई व्यक्ति, इस तथ्य के आधार पर कि अशासकीय महाविद्यालय द्वारा पूर्व में ही सेवा से उसे स्थायी किया जा चुका था, अधिकार के तौर पर यह दावा नहीं कर सकेगा कि उसे शासकीय सेवा में स्थायी किया जाए, ऐसे व्यक्ति का स्थायीकरण समय–समय पर प्रवृत्त शासकीय नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(8) इन नियमों के उपबंधों के बारे में यही और सदैव यही समझा जाएगा कि वे 1 जनवरी 1971 से प्रवृत्त हुए हैं।

(9) शासन द्वारा, कार्यभार ग्रहण किए गए अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल तथा कीड़ाधिकारी, जिसकी नियुक्ति, यथास्थिति, छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा अनुदान आयोग या विश्वविद्यालय द्वारा नियमित नियुक्ति के रूप में अनुमोदित की गई थी, किन्तु जिन्हें छानबीन समिति द्वारा किसी भी कारण से शासकीय सेवा में आमेलित किए जाने हेतु अग्रहीत (अस्वीकार) किया गया था उस पद पर जिसे वे धारित किये थे, तदर्थ और अस्थायी आधार पर समाप्त होने वाली कैडर (डाइंग कैडर) के रूप में बने रहेंगें, किन्तु उन्हें शासकीय सेवा में उस रूप में वरिष्ठता पदोन्नति, वार्षिक वेतन वृद्धि तथा वेतनमान पुनरीक्षण के लाभ प्राप्त नही होंगे।

18. चयन सूची.– (1) आयोग, शासन से प्राप्त दस्तावेजों के साथ–साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा, यदि उसकी राय हो कि इसमें कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं है तो वह सूची को अनुमोदित करेगा।

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar,Distt.- Korba (C.G.)

Govt. Gramya Bharati College Hardibazar

SAMPLE

(2) यदि आयोग, शासन से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझता है तो आयोग, प्रस्तावित परिर्वतनों के संबंध में शासन को सूचित करेगा तथा इस पर विचार करने के पश्चात यदि शासन कोई मत प्रकट करे तो ऐसे मत पर ध्यान देते हुए, ऐसे उपांतरणों सहित, यदि कोई हो, जो उसकी राय में न्यायोचित तथा उपयुक्त हो, सूची को अनुमोदित करेगा।

(3) आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से अनुसूची–चार के कॉलम (3) में यथा उल्लिखित पदों पर सिविल सेवाओं के सदस्यों की पदोन्नति के लिये अनुमोदित चयन सूची होगी।

(4) चयन सूची सामान्यतः इसके तैयार किये जाने की तारीख से 31 दिसंबर तक विधिमान्य रहेगी :

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, शासन के अनुरोध पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और आयोग, यदि वह उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

19. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.– (एक) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्ति में उसी क्रम का अनुपालन किया जायेगा, जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में आये हों।

(दो) साधारणतः उस अधिकारी की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो शासन की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो।

Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar,Distt.- Korba (C.G.)
Govt. Gramya Bharti College Hardibazar
SAMPLE

20. **परिवीक्षा.**– (1) (क) सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

(ख) परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, यदि कार्य असंतोषजनक पाया जाता है, तो परिवीक्षा की अवधि अधिकतम 1 वर्ष तक की कालावधि के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बढ़ायी जा सकेगी।

(ग) परिवीक्षा की अवधि या बढ़ायी गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा अवधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय हो कि कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने के योग्य नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

(2) सेवा में पदोन्नति से भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 2 वर्ष की कालावधि के लिये स्थानापन्न हैसियत से नियुक्त किया जायेगा।

21. **निर्वचन.**– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता हो, तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

22. **शिथिलीकरण.**– इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परंतु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

23. **निरसन एवं व्यावृत्ति.**– (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar,Distt.- Korba (C.G.)

Govt. Gramya Bharati College Hardibazar

SAMPLE

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये राज्य शासन द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबंधित अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र कुमार जायसवाल, सचिव.

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar,Distt.- Korba (C.G.)

Govt. Gramya Bharati College
Hardibazar

SAMPLE

अनुसूची–एक
(नियम 4 एवं 5 देखिये)

स.क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आयुक्त, उच्च शिक्षा	01	प्रथम श्रेणी	37,000–67,000 + ए.जी.पी. 10,000
2.	प्राचार्य – स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा	58+8	प्रथम श्रेणी	37,400–67,000 + ए.जी.पी. 10,000 + विशेष वेतन 3000
3.	प्राचार्य, स्नातक महाविद्यालय, संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा तथा राज्य सम्पर्क अधिकारी (राष्ट्रीय सेवा योजना)	187+6	प्रथम श्रेणी	37,400–67,000 + ए.जी.पी. 10,000 + विशेष वेतन 2000
4.	प्राध्यापक एवं उपसंचालक, उच्च शिक्षा	592+6	प्रथम श्रेणी	37,400–67,000 + ए.जी.पी. 10,000
5.	पदोन्नत प्राध्यापक	संख्या निर्धारित नहीं	प्रथम श्रेणी	37,400–67,000 + ए.जी.पी. 10,000
6.	सह–प्राध्यापक	संख्या निर्धारित नहीं	प्रथम श्रेणी	37,400–67,000 + ए.जी.पी. 9,000

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar Distt. Korba (C.G.)

Govt. Gramya Bharati College
Hardibazar

SAMPLE

7.	(क) सहायक प्राध्यापक	3855	द्वितीय श्रेणी	15,600–39,100 + ए.जी.पी. 6,000
	(ख) सहायक प्राध्यापक (रू. 6000 से अधिक ए.जी.पी.)	–	प्रथम श्रेणी	15,600–39,100 + ए.जी.पी. 7,000 15,600–39,100 + ए.जी.पी. 8,000 37,400–67,000 + ए.जी.पी. 9,000
8.	(क) क्रीड़ा अधिकारी	116	द्वितीय श्रेणी	15,600–39,100 + ए.जी.पी. 6,000
	(ख) क्रीड़ा अधिकारी (रू. 6000 से अधिक ए.जी.पी.)	–	प्रथम श्रेणी	15,600–39,100 + ए.जी.पी. 7,000 15,600–39,100 + ए.जी.पी. 8,000 37,400–67,000 + ए.जी.पी. 9,000
9.	(क) ग्रंथपाल	125	द्वितीय श्रेणी	15,600–39,100 + ए.जी.पी. 6,000
	(ख) ग्रंथपाल (रू. 6000 से अधिक ए.जी.पी.)	–	प्रथम श्रेणी	15,600–39,100 + ए.जी.पी. 7,000 15,600–39,100 + ए.जी.पी. 8,000 37,400–67,000 + ए.जी.पी. 9,000

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar, Distt. - Korba (C.G.)

Govt. Gramya Bharti College Hardibazar

SAMPLE

अनुसूची–दो
(नियम 6 देखिये)

स.क	सेवा /पद का नाम	कर्तव्य पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियां
			सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6(1) (क) देखिये)	पदोन्नति द्वारा (नियम 6(1) (ख) देखिये)	अन्य सेवाओं से व्यक्ति के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा (नियम 6(1) (ग) देखिये)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा राजपत्रित)					
1.	आयुक्त, उच्च शिक्षा	01	–	–	100%	भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति से
2.	प्राचार्य, स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा	58+8	–	100%	–	राज्य संपर्क अधिकारी, उपाधि प्राचार्य के काडर में से होगा जिसे राष्ट्रीय सेवा योजना का सात वर्ष के कार्य का अनुभव हो।
3.	प्राचार्य, स्नातक महाविद्यालय, संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा तथा राज्य संपर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना	187+6	–	100 %	–	25 % सीधी भर्ती प्राध्यापक 75 % पदोन्नत प्राध्यापक
4.	प्राध्यापक और उप संचालक, उच्च शिक्षा	592	100 %	–	–	
5.	पदोन्नत प्राध्यापक	संख्या निर्धारित नहीं	–	100 %		ये पद विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से भरे जायेंगे। पदोन्नत प्राध्यापकों के ऐसे पदों की कोई निर्धारित संख्या नहीं होगी और इन पदों की संख्या अपेक्षित ज्येष्ठता और अर्हता वाले सह– प्राध्यापकों की संख्या के आधार पर बदलती रहेगी। सह–प्राध्यापक की पदोन्नति अनुसूची चार में वर्णित उपबंधों के अधीन विहित सेवा कालावधि पूरी करने के पश्चात् तथा उसमें विहित अर्हताएं की शर्तें पूर्ण करने पर सेवा अभिलेख के अनुसार की जायेगी।

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar,Distt.- Korba (C.G.)

Govt. Gramya Bharati College Hardibazar

SAMPLE

6.	सह–प्राध्यापक	संख्या निर्धारित नहीं	--	100 %	–	ये पद विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से भरे जायेगें। सह–प्राध्यापकों के ऐसे पदों की कोई निर्धारित संख्या नहीं होगी और इन पदों की संख्या अपेक्षित ज्येष्ठता और अर्हता वाले सहायक प्रध्यापकों की संख्या के आधार पर बदलती रहेगी। सहायक प्राध्यापक के पद से पदोन्नति अनुसूची चार में वर्णित उपबंधों के अधीन विहित सेवा कालावधि पूरी करने के पश्चात् तथा उसमें विहित अर्हताएं रखने पर सेवा रिकार्ड के आधार पर की जावेगी।
7.	सहायक प्राध्यापक	3855	100 %	--	–	प्रतियोगी परीक्षा द्वारा, इसमें सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जायेगा।
8.	क्रीड़ा अधिकारी	116	100 %	--	–	प्रतियोगी परीक्षा द्वारा, इसमें सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जायेगा।
9.	ग्रंथपाल	125	98 %	2%	–	(1) प्रतियोगी परीक्षा द्वारा, इसमें सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जायेगा। (2) केवल डाइंग केडर के सहायक ग्रंथपाल के लिये, इन अधिकारियों के पदोन्नति के पश्चात भविष्य में ये पद पदोन्नति से नहीं भरे जायेंगे।

टीपः– अनुक्रमांक 7, 8 एवं 9 में उल्लेखित पदों की 7000, 8000 एवं 9000 एकेडिमिक ग्रेड पे में स्थानन की प्रकिया, अनुसूची–चार में दी गई टिप्पणी के अनुसार होगी।

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar,Distt.- Korba (C.G.)

Govt. Gramya Bharti College Hardibazar

SAMPLE

अनुसूची–तीन
(नियम 8 देखिये)

सेवा/पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	उच्चतर आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता
(2)	(3)	(4)	(5)
प्राध्यापक और उप संचालक, उच्च शिक्षा	31 वर्ष	45 वर्ष	(क) (एक) प्रतिष्ठित विद्वान जिसकी पी.एच.डी. में अर्हता अपने संबंधित/सम्बद्ध/सुसंगत विषय में प्राप्त हैं, जिनकी प्रकाशित रचना उच्च कोटि की हैं, जो कि वर्तमान में शोध कार्य में सक्रिय है तथा जिसके प्रकाशित ग्रंथ का साक्ष्य विद्यमान है तथा न्यूनतम रूप से उनकी कम से कम 10 रचनाएँ, पुस्तकों एवं/अथवा शोध/विषय से जुड़ी नीति विषयक प्रपत्र के रुप में प्रकाशित हो। (दो) किसी भी विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में अध्यापन का दस वर्ष का न्यूनतम अनुभव हो, एवं/ अथवा विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में/ उद्योगों में अनुभव हो; जिसमें पीएच.डी. स्तर पर कर रहे शोध छात्रों को दिशानिर्देश करने का अनुभव भी सम्मिलित हो । (तीन) शैक्षणिक नवोन्मेष, नवीन पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम तथा प्रौद्योगिकी–माध्ययुक्त अध्यापन प्रशिक्षण प्रक्रिया में विस्तार। (चार) न्यूनतम समेकित एपीआई स्कोर, जैसा कि प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पीबीएएस) के आधार पर शैक्षणिक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आई.) में निर्दिष्ट हैं, जिसे शासन द्वारा पृथक से अधिसूचना द्वारा जारी की जायेगी । अथवा ब. (ख) उत्कृष्ट व्यावसायिक व्यक्ति, जिसकी अपने सापेक्ष कार्य क्षेत्र में विद्यमान प्रतिष्ठा हो तथा जिसने संबंधित/सम्बद्ध/सुसंगत विषय के ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान किया हो तथा जिसका प्रमाणीकरण प्रत्यायकों द्वारा किया जाए।
सहः प्राध्यापक	29 वर्ष	43 वर्ष	(एक) अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड के साथ संबंधित विषय में पी. एच.डी. की उपाधि। (दो) किसी भी विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में अध्यापन का दस वर्ष का न्यूनतम अनुभव हो, एवं/ अथवा विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में/ उद्योगों में अनुभव हो; जिसमें पीएच.डी. स्तर पर कर रहे शोध छात्रों को दिशानिर्देश करने का अनुभव भी सम्मिलित हो। कम से कम पांच रचनायें, पुस्तको एवं/अथवा शोध/विषय से जुड़ी नीति विषयक प्रपत्र के रुप में प्रकाशित हो । (तीन) शैक्षणिक नवोन्मेष, नवीन पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम तथा प्रौद्योगिकी–माध्ययुक्त अध्यापन प्रशिक्षण प्रक्रिया में विस्तार।

Hardi Bazar,Distt.- Korba (C.G.)
Govt. Gramya Bharti College Hardibazar
SAMPLE

				(चार) न्यूनतम समेकित एपीआई स्कोर, जैसा कि प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पीबीएएस) के आधार पर शैक्षणिक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आई.) में निर्दिष्ट हैं, जिसे शासन द्वारा पृथक से अधिसूचना द्वारा जारी की जायेगी ।
3	सहायक प्राध्यापक	21 वर्ष	30 वर्ष	(क) अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड के साथ किसी भारतीय विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि स्तर में संबंधित विषय में कम से कम 55% अंक (अथवा/एवं 7 बिन्दु ग्रेडिंग पद्धति में ग्रेड "बी") अथवा किसी मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि । (ख) उपरोक्त अर्हताओं की पूर्ति करने के बाद भी, अभ्यर्थी को यूजीसी, सीएसआईआर द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) अथवा यूजीसी द्वारा प्रत्यायित (मान्यता प्राप्त) समतुल्य परीक्षा जैसे कि स्लेट/सेट उत्तीर्ण करना होगा। (ग) उप-खण्ड (क) तथा (ख) मे अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अभ्यर्थी, जिनके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल/पीएच. डी. प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार पीएच.डी. उपाधि हो या जिन्हें प्रदान की गई हो, को सहायक प्राध्यापक या उसके समतुल्य पद में भर्ती तथा नियुक्ति के लिये नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट रहेगी । (घ) ऐसे विषयों में स्नातकोत्तर कार्यक्रम, जिसके लिये नेट/स्लेट /सेट परीक्षा आयोजित नही की जाती है, के लिये नेट/स्लेट/सेट की अनिवार्यता नही होगी।
4	क्रीड़ा अधिकारी	21 वर्ष	30 वर्ष	(क) कम से कम 55 प्रतिशत अंको के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा खेलकूद विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री (अथवा समतुल्य डिग्री अथवा यूजीसी 7 पाइंट स्केल मे श्रेणी "बी") तथा अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड हो। (ख) अन्तर-विश्वविद्यालय/अन्तर-महाविद्यालयीन प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय और/ या राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य का प्रतिनिधित्व का रिकार्ड हो। (ग) राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा जो इस उददेश्य से यू.जी. सी. द्वारा अथवा अन्य किसी अभिकरण द्वारा जो कि यू.जी.सी. द्वारा अनुमोदित हो, आयोजित की गई हो, में अर्ह हो। (घ) इन नियमों के अनुसार संचालित शारीरिक क्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हो ।
				(ङ) तथापि, ऐसे अभ्यर्थी, जिनके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. प्रदान करने केलिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार पीएच.डी. उपाधि हो या प्रदान की गई हो, को खेल अधिकारी या उसके समतुल्य पद में भर्ती तथा नियुक्ति के लिए नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता की शर्तों की अनिवार्यता से छूट रहेगी।

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar,Distt.- Korba (C.G.)
Govt. Gramya Bharati College Hardibazar
SAMPLE

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
(च) शारीरिक दक्षता परीक्षा संबंधी मापदण्ड :–

(एक) उपरोक्त प्रावधानों के अध्यधीन, ऐसे समस्त अभ्यर्थी, जिनके लिये शारीरिक दक्षता परीक्षा में उपस्थित होना अनिवार्य होता है, के द्वारा ऐसे परीक्षाओ में उपस्थित होने से पूर्व ऐसी चिकित्सीय प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा जिसमें सत्यापित होगा कि वह चिकित्सीय रूप से स्वस्थ है।

(दो) उपरोक्त उप–खण्ड (एक) के अंतर्गत ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, नीचे दिये गये मापदण्डों के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा शारीरिक सक्षमता परीक्षा देना होगाः –

<table>
<tr><td colspan="4">पुरूषों के लिए मापदण्ड</td></tr>
<tr><td colspan="4">12 मिनट की दौड़/चाल की परीक्षा</td></tr>
<tr><td>30 वर्ष तक</td><td>40 वर्ष तक</td><td>45 वर्ष तक</td><td>50 वर्ष तक</td></tr>
<tr><td>1800 मीटर</td><td>1500 मीटर</td><td>1200 मीटर</td><td>800 मीटर</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="4">महिलाओं के लिए मापदण्ड</td></tr>
<tr><td colspan="4">8 मिनट की दौड़/चाल की परीक्षा</td></tr>
<tr><td>30 वर्ष तक</td><td>40 वर्ष तक</td><td>45 वर्ष तक</td><td>50 वर्ष तक</td></tr>
<tr><td>1000 मीटर</td><td>800 मीटर</td><td>600 मीटर</td><td>400 मीटर</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
टीपः– क्रीड़ा अधिकारी के पद के लिये–

(एक) लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में अर्ह अभ्यर्थियों के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षा, छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित/नामांकित विभाग या एजेन्सी द्वारा लिया जायेगा ।

(दो) शारीरिक दक्षता परीक्षा में अनर्ह अभ्यर्थी, चयन प्रकिया के लिये अपात्र होंगे ।
</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>ग्रंथपाल</td><td>21 वर्ष</td><td>30 वर्ष</td><td>
(1) पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/ डाकुमेंटेशन विज्ञान में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि अथवा ऐसी समतुल्य व्यावसायिक उपाधि (अथवा जहां ग्रेडिंग पद्धति लागू है पाइन्ट स्केल में समतुल्य ग्रेड अथवा यूजीसी अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित समतुल्य व्यवसायिक उपाधि तथा पुस्तकालय के कम्प्यूटरीकरण का ज्ञान एवं अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड हो ।
टीप –
(1) अनूसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/ दिव्यांग (शारीरिक एवं दृष्टिबाधित दिव्यांग)/ अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों के लिये स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 5 प्रतिशत की छूट की प्रदान की जायेगी, 55 या 50 प्रतिशत अंक को पूर्णांकित किया जाना स्वीकार्य नहीं होगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये कृपांक भी छूट स्वीकार्य नहीं किये जायेंगें।
</td></tr>
</table>

Govt. Gramya Bharti College Hardibazar
Govt. ... Hardi Bazar,Distt.- Korba (C.G.)
SAMPLE

(2) यूजीसी अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था (एजेंसी) द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा अथवा सेट/स्लेट परीक्षा पुस्तकालय विज्ञान में अर्ह हो।

(3) तथापि, ऐसे अभ्यर्थी, जिनके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार पीएच.डी. उपाधि हो या प्रदान की गई हो, को ग्रंथपाल या उसके समतुल्य पद में भर्ती तथा नियुक्ति के लिए नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता की शर्तों की अनिवार्यता से छूट रहेगी।

टीप– सहायक प्राध्यापक/क्रीड़ाधिकारी/ग्रंथपाल के लिये :–

(1) वे अभ्यर्थी, जो दिनांक 11 जुलाई, 2009 के पूर्व सहायक प्राध्यापक/क्रीड़ाधिकारी/ ग्रंथपाल पद के लिये एम.फिल./पीएच.डी. हेतु पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत हैं, उपाधि प्रदान करने वाले संबंधित संस्थान के तत्कालीन अध्यादेश/उपविधि/विनियमों द्वारा शासित होंगे। पीएच.डी. उपाधि धारक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन न्यूनतम पात्रता शर्तों से छूट प्राप्त होगी :

(क) अभ्यर्थी को केवल नियमित पद्धति से पीएच.डी. उपाधि प्रदान की गई हो;

(ख) कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो;

(ग) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी. शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किए हों (जिसमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित जर्नल में प्रकाशित हुआ हो);

(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी. शोध कार्य में से दो पेपर संगोष्ठियों/ सम्मेलनों में प्रस्तुत किए हों;

(ङ) अभ्यर्थी का मौखिक साक्षात्कार संचालित किया गया हो ।

उपर्युक्त (क) से (ङ) को कुलपति/ प्रति–कुलपति/ संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/ संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

(2) अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड से अभिप्रेत है: –

(एक) स्नातक (अन्डर ग्रेजुएट)– न्यूनतम 50%

(3) यू.जी.सी. की परिवर्तन तालिका के अनुसार, प्रतिशत अंकों को निम्नानुसार परिवर्तित किया जायेगा:–

श्रेणी	श्रेणी बिन्दु (पाईंट)	समतुल्य प्रतिशत
'O'	5.50 - 6.00	75 - 100
'A'	4.50 - 5.49	65 - 74
'B'	3.50 - 4.49	55 - 64
'C'	2.50 - 3.49	45 - 54
'D'	1.50 - 2.49	35 - 44
'E'	0.50 - 1.49	25 - 34
'F'	0.00 - 0.49	0 - 24

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar,Distt.- Korba (C.G.)

Govt. Gramya Bharati College
Hardibazar

SAMPLE

			(4) (एक) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांगजन तथा दृष्टिहीन व्यक्ति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर–क्रीमी–लेयर) के संवर्ग के व्यक्तियों की, शिक्षण संबंधी पदों पर सीधी भर्ती के दौरान उनके पात्रता एवं अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के निर्धारण के उद्देश्य से स्नातक स्तर पर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 5: की छूट प्रदान की जा सकेगी । पात्रता के लिए 55: अंक (अथवा जहां कहीं ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है, वहां पर "पाइंट स्केल" की समकक्ष श्रेणी) तथा उपरोक्त उल्लिखित संवर्गों के लिये 5: की छूट, किसी अनुग्रह अंक के सम्मिलित करने की प्रक्रिया के बिना, केवल अर्हकारी अंकों पर आधारित रहेगी । (दो) ऐसे पीएच.डी. उपाधि धारक, जिन्होने अपनी स्नातकोत्तर डिग्री 19 सितम्बर 1991 से पूर्व ही प्राप्त कर ली हो, के अंकों में 5: की छूट प्रदान की जायेगी जो कि 55: से 50: तक होगी। (तीन) जहां पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो, वहां संबधित श्रेणी, जो 55: के यथा समतुल्य मानी गई हो, पात्रता समझी जायेगी।

टिप्पणी :–

(1) सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के पश्चात् "अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष" के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ 3–2/2002/1–3, रायपुर दिनांक 16.09.2008 के निर्बंधन, प्राध्यापकों एवं सह प्राध्यपकों के पद पर सीधी भर्ती के लिए लागू नहीं होंगे।

(2) अनुसूची–तीन के कॉलम (5) के अंतर्गत प्राध्यापक/उप संचालक एवं सह प्राध्यापक, उच्च शिक्षा के पदों के लिए उच्चतर आयु सीमा निम्नानुसार होगी :–

स.क्र.	प्रवर्ग	उच्चतर आयु सीमा	
		प्राध्यापक	सह प्राध्यापक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पुरुष (अनारक्षित)	45 वर्ष	43 वर्ष
2.	पुरुष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग)	50 वर्ष	48 वर्ष
3.	महिला (अनारक्षित)	55 वर्ष	53 वर्ष
4.	महिला (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग)	60 वर्ष	58 वर्ष
5.	विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा (आरक्षित/अनारक्षित प्रवर्ग)	60 वर्ष	58 वर्ष

(3) प्राध्यापकों एवं सह प्राध्यापकों के पद पर सीधी भर्ती के लिए, इन नियमों में विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रकार की छूटों का लाभ लेने के पश्चात् उच्चतर आयु सीमा क्रमशः 60 वर्ष एवं 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(4) ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी है के लिए, उच्चतर आयु सीमा, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी ।

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar,Distt.- Korba (C.G.)

Govt. Gramya Bharati College Hardibazar

SAMPLE

अनुसूची–चार

(नियम 14 एवं 16 देखिये)

स.क्र.	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए सेवा अनुभव की न्यूनतम अवधि	चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	प्राचार्य उपाधि महाविद्यालय, संयुक्त संचालक तथा राज्य संपर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना	प्राचार्य, स्नातकोत्तर महाविद्यालय तथा अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा	स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर पदोन्नति, स्नातक महाविद्यालय के प्राचार्यों में से उन प्राचार्यों की, उपाधि महाविद्यालय संवर्ग की संयुक्त ज्येष्ठता सूची के आधार पर की जायेगी, जिन्हें प्राचार्य के पद का कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो। पदोन्नति, योग्यता–सह–ज्येष्ठता के आधार पर होगी। परन्तु अनुभव की शर्त उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी जिनके नाम पर ज्येष्ठता होते हुए भी पूर्वतर पदोन्नतियों के समय विचार नहीं हो सका।	(1) लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई सदस्य –अध्यक्ष (2) प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा –सदस्य (3) आयुक्त, उच्च शिक्षा–सदस्य	
2.	प्राध्यापक/पदोन्नत प्राध्यापक तथा उप संचालक, उच्च शिक्षा	प्राचार्य स्नातक महाविद्यालय, संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा तथा राज्य संपर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना	स्नातक महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर पदोन्नति, कम से कम दो वर्ष का अनुभव रखने वाले प्राध्यापकों में से योग्यता–सह–ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी। विभागीय पदोन्नति समिति, प्राचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए सीधी भर्ती के प्राध्यापकों तथा पदोन्नत हुए प्राध्यापकों की ज्येष्ठता सूचियां अलग–अलग तैयार करेगी। इन सूचियों में से प्राचार्य के पद पर सीधी भर्ती के प्राध्यापकों का 25 प्रतिशत एवं पदोन्नत प्राध्यापकों का 75 प्रतिशत होगा। पदोन्नत प्राध्यापकों की ज्येष्ठता सूची उनके सहायक प्राध्यापक के पद पर वरिष्ठता के आधार पर बनाई जावेगी। सीधी भर्ती के प्राध्यापकों की ज्येष्ठता सूची लोक सेवा आयोग से जारी चयन सूची में दर्शाये गये ज्येष्ठता क्रम के आधार पर होगी ।	तदैव	
3.	सह–प्राध्यापक	पदोन्नत प्राध्यापक/उप संचालक	उन सह–प्राध्यापक को, 37,400–67,000 + ए.जी.पी. 10,000 के वेतनमान वाले प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति की पात्रता होगी, जिन्होंने :–	तदैव	

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar, Distt.- Korba (C.G.)

Govt. Gramya Bharati College Hardibazar

SAMPLE

			(क) सह प्राध्यापक के रुप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। (ख) न्यूनतम समेकित ए.पी.आई. स्कोर जैसा कि प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी.बी.ए.एस.) के आधार पर शैक्षणिक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आई.) में निर्दिष्ट हैं, जिसे कि शासन द्वारा पृथक से अधिसूचना द्वारा जारी की जायेगी। (ग) कार्य निष्पादन संबंधी विगत 05 वर्षों का मूल्यांकन रिपार्ट निरंतर बहुत अच्छी हो।		
4.	सहायक प्राध्यापक	सह–प्राध्यापक	उन सहायक प्राध्यापक को, 37,400–67,000 + ए.जी.पी. 9,000 के वेतनमान वाले सह प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति की पात्रता होगी, जिन्होंनेः– (क) सहायक प्राध्यापक के रुप में 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। (ख) वेतनमान 37,400–67,000 + ए.जी.पी. 9,000 के वेतनमान में कम से कम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। (ग) न्यूनतम समेकित ए.पी.आई. स्कोर जैसा कि प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी.बी.ए.एस.) के आधार पर शैक्षणिक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आई.) में निर्दिष्ट हैं, जिसे कि शासन द्वारा पृथक से अधिसूचना द्वारा जारी की जायेगी। (घ) कार्य निष्पादन संबंधी विगत 05 वर्षों का मूल्यांकन रिपार्ट निरंतर बहुत अच्छी हो।	तदैव	अनुभव एवं योग्यता, जो कि अनुसूची–चार के कॉलम (4) में उल्लेखित है, के आधार पर, सहायक प्राध्यापक की पदोन्नति सह–प्राध्यापक के पद में की जायेगी।

टिप्पणी :–

(1) सहायक ग्रंथपाल के पद, डाइंग काडर के है तथा ये पद समाप्त होने वाले पद है। अतः उपर्युक्तानुसार, इन पदों पर कार्यरत व्यक्तियों की पदोन्नति के पश्चात्, भविष्य में ग्रंथपाल के पद पर पदोन्नतियां नहीं होंगी।

(2) सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी तथा ग्रंथपाल को ज्येष्ठ वेतनमान तथा प्रवरश्रेणी वेतनमान प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित अर्हताएं पूर्ण करनी होगी :–

(क) ज्येष्ठ वेतनमान हेतु– सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी को, 15600–39100 के वेतनमान में ग्रेड वेतन 7000 के ज्येष्ठ वेतनमान में पदांकन किया जायेगा, यदि उसने :–

(एक) नियमित नियुक्ति के पश्चात् 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, यदि वह पीएचडी अथवा एम.फिल धारक हो तो सेवा काल क्रमशः 4 एवं 5 वर्ष पूर्ण कर ली हो,

(दो) यदि वे पीएचडी धारक है तो एक ओरिएन्टेशन एवं अन्य के लिये एक ओरिएन्टेशन एवं एक रिफ्रेशर कार्स जो गुणवत्ता में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्दिष्ट मापदण्डों के समरूप हो,

(तीन) उसकी कार्य निष्पादन संबंधी मूल्यांकन रिपोर्ट निरंतर संतोषजनक है।

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardibazar Distt.- Korba (C.G.)
Govt. Gramya Bharti College Hardibazar
SAMPLE

(ख) प्रवर श्रेणी वेतनमान हेतु– ज्येष्ठ वेतनमान में कार्यरत सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी, प्रवरश्रेणी के वेतनमान में रखे जाने हेतु पात्र होंगे, यदि उसने :–

(एक) ज्येष्ठ वेतनमान में 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली हो, सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी के रूप में कम से कम 11 वर्ष, पी.एचडी एवं एम.फिल धारक के लिये क्रमशः 9/10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो;

(दो) ज्येष्ठ वेतनमान में पदांकन के उपरांत दो रिफ्रेशर पाठ्यक्रम/ग्रीष्मकालीन संस्थाओं में जो प्रत्येक लगभग 4 सप्ताह की अवधि का हो, भाग लिया हो या वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप समुचित अवतरण शिक्षण कार्यक्रमों से जुड़ा रहा हो; और

(तीन) उसकी कार्य निष्पादन संबंधी मूल्यांकन निरंतर अच्छी हो।

(3) ज्येष्ठ वेतनमान तथा प्रवरश्रेणी वेतनमान में पदांकन के लिये छानबीन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(एक) आयुक्त, उच्च शिक्षा या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई भी अतिरिक्त संचालक	–	संयोजक
(दो) उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग	–	सदस्य
(तीन) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का प्राचार्य (आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा नाम निर्दिष्ट)	–	सदस्य
(चार) उच्च शिक्षा से संबंधित एक शिक्षाविद	–	सदस्य

छानबीन समिति, सूची में रखे जाने की उपयुक्तता अवधारित करने हेतु समय–समय पर शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार छानबीन का कार्य संपादित करेगी।

नोट :– ज्येष्ठ एवं प्रवर श्रेणी वेतनमान हेतु यू.जी.सी. एवं शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar,Distt.- Korba (C.G.)

Govt. Gramya Bharati College Hardibazar

SAMPLE

अनुसूची–पांच
(नियम 17 (1) देखिये)
आवेदन का प्रपत्र
(सहायक प्राध्यापक / क्रीड़ा अधिकारी / ग्रंथपाल के पद हेतु)

फोटो
पासपोर्ट
साइज
(अनुप्रमाणित)

1. नाम तथा पता : ....
: ....
विषय : ....
2. राज्य का नाम (जहां जन्म हुआ हो) : ....
3. जन्म तारीख (अंकों में) : ....
(शब्दों में) : ....
4. पद के लिये विज्ञापन दिए जाने वाले वर्ष में 1 जनवरी .... को आयु वर्ष .... माह .... दिन..................
5. शैक्षणिक अर्हताएं :–

मंडल / विश्वविद्यालय	वर्ष	श्रेणी	विषय	प्राप्तांक / पूर्णांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क) हायर सेकण्डरी				
(ख) स्नातक				
(ग) स्नातकोत्तर				

प्रत्येक के लिए अंकसूची की अनुप्रमाणित प्रति अपेक्षित है।

6. यदि एम.फिल / पी.एच.डी. उपाधि दी गई है, तो विषय का उल्लेख करें तथा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें : ....
7. यदि अभ्यर्थी अ.जा. / अ.ज.जा. प्रवर्ग का है तो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नाम का उल्लेख करें तथा सक्षम अधिकारी का प्रमाणपत्र संलग्न करें : ....
8. यदि अभ्यर्थी पूर्व से ही नियोजित हो तो अपना पदनाम, संस्था का नाम तथा विभाग का नाम प्रदर्शित करें : ....
9. अन्य कोई जानकारी, जो अभ्यर्थी देने का इच्छुक हो : ....

तारीख..................
स्थान..................

....
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

Principal
Govt. Gramya Bharati College
Hardi Bazar, Distt.- Korba (C.G.)

Govt. Gramya Bharati College
Hardibazar

SAMPLE